

थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा थाना फरीदपुर जनपद बरेली में हत्या के मुकदमे में मफरूर 02 वांछित अपराधी को 02 अवैध तमंचे 315 बोर व 04 कारतूस 315 बोर जिन्दा के साथ गिरफ्तार किया गया ।

श्री आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन गौरव विश्रोई के नेतृत्व मे थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा 02 अभिगण 01. पुसपाल पुत्र धर्माई निवासी करेली गौटिया थाना सुभाषनगर जनपद बरेली तथा 02. गेंदन पुत्र धर्माई निवासी करेली गौटिया थाना सुभाषनगर जनपद बरेली को 02 अवैध तमंचे 315 बोर व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया ।

घटना क्रम :-

दिनांक 21.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सिविल लाईन जनपद बदायूं पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01. पुसपाल पुत्र धर्माई निवासी करेली गौटिया थाना सुभाषनगर जनपद बरेली तथा 02. गेंदन पुत्र धर्माई निवासी करेली गौटिया थाना सुभाषनगर जनपद बरेली जो थाना फरीदपुर जनपद बरेली में पंजीकृत मु0अ0सं0 16/23 धारा 147,148,149,307,302,120बी भादवि के मफरूर अपराधी है जिनको चैकिंग के दौरान 02 अवैध तमंचे 315 बोर व 04 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 122/24, मु0अ0सं0 123/24 धारा 3/25(1B)(a) आर्म्स एक्ट बनाम 01. पुसपाल पुत्र धर्माई निवासी करेली गौटिया थाना सुभाषनगर जनपद बरेली, 02. गेंदन पुत्र धर्माई निवासी करेली गौटिया थाना सुभाषनगर जनपद बरेली पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभिगण पुसपाल तथा गेंदन उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

अभिगण का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 122/24 धारा 3/25(1B)(a) A Act भादवि बनाम 1.पुसपाल 2.गेंदन उपरोक्त उपरोक्त । थाना सिविल लाईन , बदायूं ।
2. मु0अ0सं0 16/23 धारा 147,148,149,307,302 IPCबनाम 1.पुसपाल 2.गेंदन उपरोक्त उपरोक्त थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।